सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (रा

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 03/2015

बउनवान

श्री वेदप्रकाश पूर्विया, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री पंकज मित्तल पुत्र श्री शरद कुमार मित्तल उम्र 25 वर्ष जाति महाजन निवासी खानपुर रोड कवाई तह. अटरू जिला बारां
2. श्रीमति कैलाश कुमारी पत्नि श्री शरद कुमार मित्तल निवासी कवाई तह. अटरू जिला बारां
3. मेसर्स एस के एण्ड सन्स, खानपुर रोड कवाई तह. अटरू जिला बारां
4. श्री विजय सोनी पुत्र श्री बजरंगलाल सोनी निवासी 17 मुख्य तेगड़ा मार्ग, मोतीनगर बोरखेड़ा नया नोहरा, कोटा (राज.)
5. श्री अजय सोनी पुत्र श्री बजरंगलाल सोनी निवासी 17 मुख्य तेगड़ा मार्ग, मोतीनगर बोरखेड़ा नया नोहरा, कोटा (राज.)
6. मेसर्स जय माता दी एन्टरप्राईजेज पेट्रोल पम्प के पास देवली अरब रोड बोरखेडा कोटा राज.
7. श्री हरिराम अग्रवाल निवासी बच्छावतों का मोहल्ला बीकानेर (भागीदार)
8. श्रीमति ललिता देवी अग्रवाल निवासी बच्छावतों का मोहल्ला बीकानेर (भागीदार)
9. श्री जय प्रकाश अग्रवाल निवासी बच्छावतों को मोहल्ला बीकानेर (भागीदार)
10. मेसर्स सनशाईन फूड प्रोडक्टस एफ–88/89 बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर पार्टनर फर्म

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट (अप्रार्थी 1, 2 एवं 10)

निर्णय दिनांक 21.02.2018

प्रकरण श्री वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2013 को समय 3.00 पी.एम. पर मेसर्स एस के एण्ड सन्स खानपुर रोड़ कवाई तह. अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहां पर श्री पंकज मित्तल पुत्र श्री शरद कुमार मित्तल उपस्थित मिला जिसे परिचय दिया एवं पूछने पर श्री पंकज ने खाद्य अनुज्ञापत्र उपलब्ध कराया जिसमें प्रोपराईटर श्रीमति कैलाश कुमारी पत्नि श्री शरद कुमार मित्तल निवासी कवाई तह. अटरू जिला बारां है। आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु खाद्य पदार्थ **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** 400 ग्राम के 15 पैकेट रेक में रखे थे। आवेदक को **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** 400 ग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य वस्तु **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** 400 ग्राम की 4 थैलियां वास्ते नमूना जांच गवाहान की उपस्थिति में खरीदा जिसकी कीमत विकेता को रू. 280/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विकेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विकेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** 400 ग्राम के 4 पैकेट को अलग अलग चार नमूना भाग में डिब्बो में भरकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना के डिब्बों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक सामान्य/2014/16 दिनांक 24.02.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक एफएसएसएल/कोटा/2013/524 दिनांक 06.12.2013 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, खाद्य वस्तु **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** 400 ग्राम **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2,4,1 के अनुसार विनिर्माता का नाम ज्ञात होने पर भी उसे कोई सूचना नहीं दी। आवेदक द्वारा सेम्पल लिये जाने से पूर्व मौके पर जप्त भुजिया पेकेट की सील का कोई इम्प्रेशन जिससे सेम्पल सील किया गया है उसका कोई नमूना सील फर्द रिपोर्ट पर चस्पा नहीं किया। प्रतिपक्षीगण ने स्पायसी भुजिया निर्माता से पेकिंग में ही खरीदा है ओर पेकिंग में ही विकय किया गया है जिसमें उनके द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। निरीक्षण के समय एक ही गवाह उपस्थित रहा है। जांच रिपोर्ट की कोई प्रति प्रतिपक्षीगण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। जांच रिपोर्ट में तारीख 06.12.2013 अंकित है जबकि रिपोर्ट 14 दिन के अन्दर प्रयोगशाला द्वारा नहीं भिजवाई गई है ना ही देरी का कोई कारण अंकित किया है। आवेदक द्वारा डिब्बो में पेक कर अन्य पेकेट भिजवाये हैं जप्त किये हुये पेकेट नहीं भिजवाये। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावे।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** का विकय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा विकय किया जा रहे खाद्य पदार्थ खाद्य वस्तु **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** का विकय किया गया है वह उन्होने विनिर्माता से कय किया है जबकि आवेदक ने उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की है जांच रिपोर्ट में अंकित की गई **Opinion** भी निर्माता से संबंधित है। विकेतागण से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थीगण के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य वस्तु **भीखाराम चांदमल भुजियावाला स्पायसी भुजिया** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी कम 1 ता 3 को कुल 5,000/– अप्रार्थी कम 4 ता 6 को 5000/– एवं अप्रार्थी कम 7 ता 10 को 10000/– महायोग 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)